

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 100/2026

राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा सिंगनोर, जिला झुंझुनूं (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

— प्रार्थी बैंक

बनाम

श्री अनिल कुमार जाखड़ पुत्र श्रीचन्द जाखड़, वार्ड नं० 13, धमोरा मोड़ के पास, खेमचन्द की ढाणी, धमोरा,
जिला झुंझुनूं (राज०)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड
एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद पश्चात् "एक्ट" से संबोधित किया गया है,
दृष्टिबंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुदगी बाबत।

उपस्थित:-

एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा - प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को कुल रुपये 16,85,000/- की ऋण सुविधा दिनांक 16.02.2023 का टर्म लोन अन्तर्गत बीआरकेजीबी अपना वाहन ऋण योजना खाता सं० 46870600000108 के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री अनिल कुमार जाखड़ पुत्र श्रीचन्द जाखड़ के टर्म लोन अन्तर्गत बीआरकेजीबी अपना वाहन लोन स्कीम खाता सं० 46870600000108 में महिन्द्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस-11 एमटी 7एस सीसी, कार का हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 18-यूसी-0445, चेचिस नं० एमए1टीए2वाईएस2पी2बी21337, इंजन नं० वाईएसपी4एल75495, रंग -पर्ल व्हाइट, फ्यूल टाईप डीजल (बीएस6) को प्रार्थी के हक में दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 11.04.2025 को एनपीए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में 14,10,390.12/- दिनांक 11.04.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 11.04.2025 को एनपीए घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 13.05.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही दृष्टिबंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर ऋण राशि रु. 14,10,390.12/- दिनांक 11.04.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अन्तरण (नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्वोरिटीज का विवरण:- श्री अनिल कुमार जाखड़ पुत्र श्रीचन्द जाखड़ की महिन्द्रा स्कॉर्पियो क्लासिक

जिला कलक्टर झुंझुनूं


एस-11 एमटी 7एस का हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं0 आरजे 18-यूबी-9686, चेचिस नं0 एमए1टीए2वाईएस2एन2एल21783, इंजन नं0 वाईएसएन4एल75495, रंग -पर्ल व्हाइट, फ्यूल टाईप डीजल (बीएस6) बैंक की सूचना के अनुसार उक्त दृष्टिबंधक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (नीलामी) हेतु सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल संपत्ति- श्री अनिल कुमार जाखड़ पुत्र श्रीचन्द जाखड़ महिन्द्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस-11 एमटी 7एस सीसी, कार का हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं0 आरजे 18-यूसी-0445, चेचिस नं0 एमए1टीए2वाईएस2पी2बी21337, इंजन नं0 वाईएसपी4एल75495, रंग -पर्ल व्हाइट, फ्यूल टाईप डीजल (बीएस6) है का पजेशन प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू